दिनांकः 27 अगस्त, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या–1230 / 79–वि–1–09–1(क)21 / 2009
लखनऊःदिनांकः 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने **उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009** पर दिनांक 26 अगस्त 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

(प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा)
सचिव।

(पु0 ना0 द्विवेदी)
अनुसचिव,
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या–1230(1) / 79–वि–1–09–1(क)21 / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
9– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(अलख नारायण)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 49 का संशोधन।

2 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 49 को निकाल दिया जायेगा।

धारा 50 का संशोधन।

3 मूल अधिनियम की धारा 50 में,

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(1) कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर कारबार के सम्बन्ध में अनुसूची-1 में वर्णित एवं वर्णित वस्तुओं से भिन्न ऐसी मात्रा या माप या मूल्य का माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, का, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक है या तो निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र पर हो जहाँ इस व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है यथाविहित रीति से निर्धारित घोषणा का प्रपत्र प्राप्त करेगा या यथाविहित रीति से विभागीय वेब साईट से डाउनलोड करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसे माल को लाने आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर रोकेगा और उसे तब तक रोक रखेगा जब तक कि यथास्थिति धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का तथा पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेखे पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाय तो उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा।"

धारा 52 का संशोधन।

4 मूल अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

राज्य से होकर गुजरने वाले माल के लिए उपबन्ध

"52- जब राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में ऐसे दस्तावेजों को रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और ऐसा न करने पर यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेचने के लिए है।"

धारा 54 का संशोधन।

5 मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, तालिका में क्रमांक 9 और 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"9	यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है।	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि।
15	जहाँ, यथास्थिति, चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति, (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ में रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है; या (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को, सौंपने में विफल रहता है; या	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत।
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है; या	
	(चार) परिवाहक या वाहन या भाड़ेदार होते हुये, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो;"	

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित व्यवस्था को प्रारम्भ करने हेतु उपबन्धित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जाँच चौकियों और नाकों के कारण व्यक्तियों, जिनमें व्यापारी एवं उद्यमी सम्मिलित हैं, को होने वाली असुविधा को दूर करने तथा अबाध व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय,

(क) जाँच चौकियों और नाकों की स्थापना के प्रावधान को निकाल दिया जाए,

(ख) व्यापारी को विभागीय वेबसाइट से आयात हेतु घोषणा का प्रपत्र डाउन लोड करना अनुमन्य किया जाय,

(ग) राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में उल्लिखित माल ले जाने वाली गाड़ी के चालक या वाहन प्रभारी अन्य व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों को रखने की अपेक्षा करना जैसे विहित किये जाँय।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है ।